डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांकः 2470/पत्रा सं0–1387/344/HDCTCSE/DSMNRU-022/सम्बद्धता/2021–22, दिनांक 21.02.2022

सम्बद्धता–आदेश

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा (5)(दो) के अधीन विश्वविद्यालय सम्बद्धता अध्यादेश–2018 में उ0प्र0 राज्य के महाविद्यालयों/संस्थाओं को सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में वर्णित व्यवस्थान्तर्गत, हैण्डीकैप्ड डेवलपमेण्ट काउन्सिल, आगरा द्वारा संचालित स्वैच्छिक संस्था हैण्डीकैप्ड डेवलपमेण्ट काउन्सिल (टीयर्स कॉलेज ऑफ स्पेशल एजूकेशन), आगरा में स्ववित्त–पोषित योजनान्तर्गत B.Ed.Spl.Ed.(ID) पाठ्यक्रम के संचालन के लिये सम्बद्धता हेतु प्रेषित प्रस्ताव के दृष्टिगत् विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति की 22वीं बैठक के निर्गत कार्यवृत्त संदर्भ संख्या–2131 दिनांक 05.01.2022 के निर्णयानुसार, शासन के पत्र संख्या 139612/2022/65–3099/742/2019 दिनांक 10.02.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के पत्र संख्या 17-735/B.Ed.Spl.Ed.(ID)/18-RCI/3007 दिनांक 28.01.2022 द्वारा प्रदत्त मान्यता प्रमाण–पत्र के दृष्टिगत् उक्त संस्था में B.Ed.Spl.Ed.(ID) पाठ्यकम के शैक्षणिक सत्र 2021–22 में संचालन के लिये निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

Name of the Institution	Name of Course	Duration of Course	Intake Capacity (Max.)
हैण्डीकैप्ड डेवलपमेंट काउन्सिल (टीयर्स कॉलेज ऑफ स्पेशल एजूकेशन) फेज–01, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा–282007 (उ0प्र0)।	B.Ed.Special Education (Intellectual Disability) B.Ed.Spl.Ed.(I.D.)	02 Year	30 (Thirty) Seats

1. विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियावली/सम्बद्धता अध्यादेश में सम्बद्धता प्रदत्त पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित मानकों एवं समय–समय पर प्रदत्त आदेशों/निर्देशों का पूर्णतया पालन करते हुए भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम का निर्धारित मानकानुसार संचालन किया जाय।
2. उक्त महाविद्यालय/संस्था द्वारा संगत विनियामक संस्था तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकानुसार उक्त पाठ्यक्रम के संचालन से पूर्व सामान्य जन के साथ–साथ दिव्यांगजनों हेतु वांछित समस्त आवश्यक अवस्थापना/अवसंरचना आदि मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था/उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाय।
3. उक्त संस्था द्वारा प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति तत्संबंधित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत नियमों एवं निर्देशों के अनुसार की जायेगी। चयनित शिक्षकों हेतु विश्वविद्यालय से अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाय।
4. उक्त संस्था द्वारा प्रवेश प्रकिया संबंधित विनियामक संस्था आर.सी.आई. तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत नियमों एवं निर्देशों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित की जायेगी।
5. उक्त संस्था द्वारा विश्वविद्यालय को नियमानुसार निर्धारित/देय सम्बद्धता शुल्क, इण्डोमेण्ट फण्ड आदि वांछित शुल्क धनराशि, सम्बद्धता आदेश के निर्गत होने की तिथि से 01 माह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा।
6. विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय तथा संगत नियामक संस्था द्वारा समय–समय पर प्रदत्त आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा पद्धति/प्रणाली का अनुपालन करते हुए ससमय परीक्षा सम्पादित/पूर्ण कराई जायेगी तथा विश्वविद्यालय को परीक्षा/इनरोलमेण्ट आदि हेतु निर्धारित शुल्क निश्चित समयावधि में प्रेषित/जमा किया जाना होगा, वांछित शुल्क जमा किये बिना परीक्षा सम्पादित नहीं करायी जायेगी।
7. उक्त संस्था के समस्त मूलभूत अवस्थापना, अवसंरचना यथा बिल्डिंग, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, क्लासरूम, प्राचार्य/शिक्षकों/छात्रों का विवरण इत्यादि को वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा जिसका लिंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट से किया जाना अनिवार्य होगा।

कृ0प0उ0..................

Scanned with CamScanner

8. उक्त संस्था द्वारा समस्त शिक्षकों की संयुक्त हस्ताक्षरित स्टिल फोटोग्राफ को वेबसाइट पर अपलोड किया जाय तथा विश्वविद्यालय को भी प्रेषित की जाय।

9. उक्त संस्था द्वारा सम्बद्धता प्रदत्त पाठ्यक्रम में पठन–पाठन का कार्य किया जायेगा। भवन में अन्य कोई पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जायेगा।

10. उक्त संस्था द्वारा संबंधित विनियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय से यथापेक्षित अनुमोदन/मान्यता प्राप्त किये बिना सम्बद्ध पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश प्रक्रिया/संचालन आदि कदापि न किया जाय।

11. उक्त संस्था द्वारा शिक्षक एवं गैर–शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार स्वयं वहन किया जायेगा। उक्त पाठ्यक्रम के बावत संस्था की भूमि/भवन एवं किसी प्रकार की वित्तीय सहायता/देनदारी आदि किसी लायबिलटी से राज्य सरकार या विश्वविद्यालय से कोई सरोकार नही होगा।

12. समय–समय पर सम्बद्धता के मानक एवं शिक्षण गुणवत्ता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा औचक निरीक्षण किया जायेगा।

13. उक्त संस्था की अस्थाई सम्बद्धता मात्र शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु है।

14. उक्त संस्था हेतु सम्बद्धता कोड DSMNRU-022 है।

15. उक्त संस्था द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता की शैक्षणिक सत्रावधि/सम्बद्धता के विस्तारीकरण/नवीकरण हेतु नियमानुसार निर्धारित कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. उक्त संस्था को विश्वविद्यालय से प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता, उ0प्र0 शासन द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णयों तथा विश्वविद्यालय कार्यपरिषद में लिये गये निर्णय के अधीन होगी।

17. यदि किसी भी स्थिति मे किसी स्तर पर किसी स्रोत द्वारा कोई लिखित या मौखिक ऐसा तथ्य संज्ञान में आने पर जिसे आवेदक संस्था द्वारा छिपाया गया हो/असत्य/भ्रामक/नियम शर्तो का उल्लंघन हो, ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय को नियमानुसार सम्बद्धता को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिये पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त संस्था/महाविद्यालय का होगा।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पत्रांकः 2470/पत्रा सं0–1387/344/HDCTCSE/DSMNRU-022/सम्बद्धता/2021–22, दिनांक 21.02.2022

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सदस्य सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद, बी–22, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110016।
2. सचिव/निदेशक, हैण्डीकैप्ड डेवलपमेंट काउन्सिल टीयर्स कॉलेज ऑफ स्पेशल एजूकेशन, फेज–01, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा–282007 (उ0प्र0)।
3. प्राचार्य, हैण्डीकैप्ड डेवलपमेंट काउन्सिल (टीयर्स कॉलेज ऑफ स्पेशल एजूकेशन), फेज–01, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा–282007 (उ0प्र0)।
4. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
5. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
6. अधिष्ठाता, विशेष शिक्षा संकाय, विश्वविद्यालय।
7. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, विश्वविद्यालय।
8. गार्ड फाइल।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

Scanned with CamScanner